



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द  
बईजलास श्री सी.एल. शर्मा (आर.ए.एस.)

पकरण संख्या	88/2019
G.C.M.S. पकरण संख्या	2000/000000
पकरण दर्ज होने की तिनांक	17.06.2019
पकरण में विनिर्णय की तिनांक	26.07.2021

उत्तरान

सत्यनारायण पुत्र बशीलाल लडा निवासी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

बान्दी पत्नि भैरु बलाई नि. सिद्धिदास तहसील भाण्डल जिला भीलवाड़ा
काशीलाल पुत्र किशनलाल ब्राह्मण नि. जीवलिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
जगू पुत्र जवाहरमल जाट नि. जीवलिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
नेसर पत्नि मनफूल जाट नि. जीवलिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
भंवरलाल पुत्र नन्दा जाट नि. जीवलिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
महावीर पुत्र मनफूल जाट नि. जीवलिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
विद्या पुत्र मनफूल जाट नि. जीवलिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
सुरेशचन्द्र पि. मांगीलाल ब्राह्मण नि. जीवलिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
जानीदेवी पत्नि लादूलाल ब्राह्मण नि. जीवलिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
रमेशचन्द्र पि. लादूलाल ब्राह्मण नि. जीवलिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— अप्रार्थी / अप्रार्थीगण

उपस्थित वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण	श्री दूधाराम कुमावत
उपस्थित वकील अप्रार्थी / अप्रार्थीगण	श्री राधेश्याम पारीक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

1) प्रार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 LRA मे इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	
1	जीवलिया	2074-2077	205	346	0.64	507	0.41	
				348	0.33	510	0.32	
					354	0.41	511	0.14
					361	0.27	512	0.12
					504	0.37		
					506	0.40		
		कुल योग				किता 10		

(2) प्रार्थी/ प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नही होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा घास काटने और पेड़ो की कटाई छंगायी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है।

सहायक कलक्टर (S.D.O.)  
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

(3) प्रार्थी / प्रार्थीगण ने विपक्षीगण की सहमति से सीमाज्ञान करवाने के लिये निवेदन किया तो मना कर दिया और प्रार्थी / प्रार्थीगण की आराजियात की सीमा से पेड़ काटने व छंगाबी करने, घास काटने हेतु विपक्षीगण अक्सर लड़ाई-झगड़ा करने पर उतार रहते हैं जिससे विवाद उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

(4) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगद्दी करवायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

(5) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण संख्या 1,2,4 से 7 व 9 से 10 के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये गये हैं। अप्रार्थी संख्या 3 की मृत्यु हो जाने से वकील प्रार्थी द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाही गयी है। अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम पारीक द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

(6) पैरोकार सरकार ने कथन किया कि राज्य सरकार प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है तथा राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं होने से प्रकरण में जवाब दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

(7) वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील उभय-पक्ष बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगद्दी के आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत है। वकील अप्रार्थी ने कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगद्दी किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

(8) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।

(9) बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगद्दी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

### क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगद्दी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	
1	जीवलिया	2074-2077	205	346	0.64	507	0.41	
				348	0.33	510	0.32	
					354	0.41	511	0.14
					361	0.27	512	0.12
					504	0.37		
					506	0.40		
		कुल योग				किता 10	3.41	

श्री भू.अ.निरीक्षक मोड़ का निम्बाहेड़ा को 3100/-रु.की फीस पर कमीश्रर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से पत्र के पर कमीश्रर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट में किया जावें। पत्थरगद्दी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पड़ोसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगद्दी की जाने की लिखित सूचना जरिये पत्र समय एवं तिथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगद्दी उभय पक्षकारान / मौतवीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये मुश्तकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावें। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया।


  
(सी.एल.शर्मा)  
सहायक कलक्टर (S.D.O.)  
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

क्रमांक / रीडर / 45

दिनांक 02/08/2021

प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

  
सहायक कलक्टर (S.D.O.)  
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा